



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17042021-226686
CG-DL-W-17042021-226686

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17—अप्रैल 23, 2021 (चैत्र 27, 1943)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17—APRIL 23, 2021 (CHAITRA 27, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2021

शुद्धि पत्र

सं. ए-12(11)10/2015-स्था.-1—भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, भाग-III, खण्ड 4 (संख्या 41) दिनांक 10 अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए भर्ती विनियम के बारे में अधिसूचना संख्या: ए-12 (11)10/2015 दिनांक 17 सितम्बर, 2020 में पृष्ठ संख्या 308 में निम्नलिखित को पढ़ा/प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

- (क) अनुसूची के कॉलम (10) में प्रथम पंक्ति में “75 प्रतिशत” के स्थान पर “1. 75 प्रतिशत” पढ़ा जाएगा ।
- (ख) अनुसूची के कॉलम (10) में द्वितीय पंक्ति में “25 प्रतिशत” के स्थान पर “2. 25 प्रतिशत” पढ़ा जाएगा ।
- (ग) अनुसूची के कॉलम (12) में प्रथम पंक्ति के शब्द “समूह” के स्थान पर “समूह” पढ़ा जाएगा ।
- (घ) अनुसूची के कॉलम (12) में चौथी पंक्ति के शब्द “का” के स्थान पर “या निदेशक,” पढ़ा जाएगा ।

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 30th March 2021

CORRIGENDUM

No. A-12(11)10/2015-Estt. I.—In the Notification No. A- 12(11)10/2015-Estt. I dated 17th September, 2020 regarding Recruitment Regulations for the post of Lower Division Clerk, published in the Gazette of India (No. 41), Part III, Section 4 dated 10.10.2020, the following shall be read/substituted :—

On page No. 310

- (1) For the word “InsuranceCorporation” appearing in the first line of the Regulation 1, the words “Insurance Corporation” shall be read.
- (2) For the word “andlevel” appearing in the first line of the Regulation 2, the words “and level” shall be read.
- (3) For the word “tothese” appearing in the second line of the Regulation 2, the words “to these” shall be read.

On page No. 311

- (1) For the word “non-selectionpost” appearing in the second line of the heading of column (5) of the Schedule, the words “non-selection post” shall be read.

ANURADHA PRASAD
Director General